भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/32/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक-19 सितंबर, 2025

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (ओआई)-30/2024

विषय: चीन जन. गण. से "कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" के आयातों के संबंध में अंतिम जांच ।

फा. सं. 6/32/2024-डीजीटीआर: - यह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे एडी नियमावली, 1995 या एडी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि, पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" या "घरेलू उद्योग" कहा जाएगा) ने अधिनियम और नियमों के अनुसार, चीन पीआर (जिसे आगे "विषय देश" कहा जाएगा) में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "विषय वस्तु" या "सीआरएनओ" कहा जाएगा) के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच

शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 27 सितंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 6/32/2024-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशित किया गया था, जिसमें पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, संबद्ध जाँच शुरू की गई थी ताकि संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. इस जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जाँच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने दिनांक 27 सितंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 6/32/2024-डीजीटीआर जारी की, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशित किया गया था, जिसके अंतर्गत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई।

ग. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से कहा गया कि वे जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित ढंग और प्रपत्र में संगत जानकारी प्रदान करें और जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोध प्रस्तुत करें।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार आवेदकों द्वारा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति भी उपलब्ध कराई।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दें।

च. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 - 31 मार्च, 2023 और पीओआई है।

छ. प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज़ के अगोपनीय अंश के परिचालन के 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

ज. प्राधिकारी ने शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (जिसे आगे 'ईआईक्यू' कहा गया है) भी जारी की।

झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:

i. फ़ोशान ग्रैंड एसेरो कंपनी लिमिटेड
ii. चाइना स्टील प्रिसिजन मेटल्स
iii. ग्वांगडोंग मीज़ी कंप्रेसर लिमिटेड
iv. जियांग्शी ज़िस्को-विस्ड्री न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
v. चेओंगफुली ज़ियामेन कंपनी ली
vi. ज़ियामेन आईटीजी ग्रुप कॉर्प लिमिटेड
vii. बाओस्टील झानजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
viii. जियांग्सू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
ix. शौगांग ज़िक्सिनकियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल कंपनी लिमिटेड
x. शांक्सी ताइगांग स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड,
xi. अंगांग स्टील कंपनी लिमिटेड
xii. बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

xiii. वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
xiv. जियांग्शी ज़िस्को-विस्ड्री न्यूमटेरियल कंपनी लिमिटेड

ञ. विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक, संबद्ध जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत है और उन्होंने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

i. बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
ii. बाओस्टील झानजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
iii. बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
iv. वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
v. झांगजियागांग यांग्त्ज़ी रिवर कोल्ड रोल्ड शीट कंपनी लिमिटेड
vi. जियांगसू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
vii. जियांगसू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
viii. शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर (पीटीई) लिमिटेड
ix. क्यूमिक स्टील लिमिटेड
x. वेलॉन्ग रिसोर्सेज लिमिटेड
xi. टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड
xii. शौगांग ज़िक्सिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटेरियल्स (कियानआन) कंपनी लिमिटेड
xiii. शौगांग होल्डिंग ट्रेड (हांगकांग) लिमिटेड
xiv. चाइना शूगांग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन

ट. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी हेतु प्रश्नावलियां भेजीं:

i. एबीबी इंडिया लिमिटेड
ii. एंड्रिट्ज़ हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड
iii. सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
iv. ईएलजीआई इक्विप्मेंट्स लिमिटेड
v. एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
vi. गोदरेज बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
vii. हिकाल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
viii. हाइली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ix. होंडा सिएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
x. लुबी इंडस्ट्रीज एलएलपी
xi. मेगाथर्म इंडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
xii. मिडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xiii. निडेक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xiv. परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड
xv. सीमेंस लिमिटेड
xvi. टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड
xvii. टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xviii. वेदांता इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
xix. वॉयथ हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड
xx. एस्थेटिक स्टैम्पिंग्स लैमिनेशन्स लिमिटेड
xxi. अल्फांसो स्टील प्राइवेट लिमिटेड
xxii. अल्पाइन स्टैम्पिंग्स
xxiii. अमूल्य मेटल
xxiv. बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
xxv. चाइना स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxvi. गुप्ता मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
xxvii. हाईटेक टूल्स इंडिया
xxviii. इगारशी मोटर्स इंडिया लिमिटेड
xxix. जैन ब्रदर्स इंटरनेशनल
xxx. जैश स्टील प्राइवेट लिमिटेड
xxxi. जेएफई शोजी स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxxii. कपिल कोरपैक्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxiii. किको स्टील एलएलपी
xxxiv. कीर्तनलाल पार्टनर्स
xxxv. कुमार प्रिसिजन स्टैम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxvi. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxxvii. मैगकोर लैमिनेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxxviii. महिंद्रा स्टील सर्विस सेंटर लिमिटेड
xxxix. मैनली सिलिकॉन स्टील प्राइवेट लिमिटेड
xl. एमआई इलेक्ट्रिकल स्टील प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xli. नवरत्न स्टील
xlii. नीमराना स्टील सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xliii. एनएलएमके इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
xliv. नोवैक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
xlv. पर्ल इंजीनियरिंग कंपनी
xlvi. पेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
xlvii. पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड
xlviii. पोगेन-एम्प नागरशेठ पावरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xlix. पूजा मेटल प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
l. पॉस्को इंडिया प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
li. पॉस्को टीएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lii. पावरकोर इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lii. प्रेसमैटिक इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
liv. पीआरजी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
lv. रॉयल ओवरसीज एक्सपोर्ट्स
lvi. एस एस स्टील एंटरप्राइजेज
lvii. सार्थ स्टैम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
lviii. सेवा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
lx. श्री कृष्णा स्टील्स
lx. सिलिकॉन कॉर्टेक प्राइवेट लिमिटेड
lxi. एसआर इलेक्ट्रोस्टील प्राइवेट लिमिटेड
lxii. स्टार वायर प्रोडक्ट
lxiii. स्टेकोल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
lxiv. स्टील मोंट प्राइवेट लिमिटेड
lxv टेक्नो विज़न टूल्स
lxvi. टेम्पल प्रिसिजन मेटल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ठ. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने संबद्ध जाँच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया है और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

i. पोगेनैम्प नागरशेठ पावरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ("पोगेनैम्प")
ii. बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

ड. संबद्ध देश के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है या जाँच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें जाँच में असहयोगी माना गया है।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए जाँच शुरूआत की तारीख से 15 दिनों का समय दिया गया था। प्राधिकारी को एक हितबद्ध पक्षकार से पीयूसी और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने पीयूसी और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 21 अक्टूबर, 2024 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया।

ण. प्राधिकारी ने 4 नवंबर, 2024 को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी एक कार्य बैठक आयोजित की। इसके बाद, प्राधिकारी ने 26 नवंबर, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन पद्धति के अंतिम दायरे को अधिसूचित किया। प्राधिकारी ने पीयूसी के उसी दायरे की पुष्टि की है और उन्हीं पीसीएन को अपनाया है जो 27 सितंबर, 2024 की जांच शुरूआत अधिसूचना फा. संख्या 6/32/2024-डीजीटीआर में प्रस्तावित थे। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 26 नवंबर, 2024 से 30 दिनों का समय दिया। कतिपय हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय अर्थात 1 जनवरी, 2025 तक का समय बढ़ाया।

त. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि और जाँच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदावार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया और जाँच शुरूआत करने के चरण के साथ-साथ वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए भी इस पर विचार किया गया।

थ. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 18 मार्च, 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद यदि कोई हो, तो प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

द. निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण, 13 जून, 2025 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

ध. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण भारत में संबद्ध वस्तु के लिए उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर किया गया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

न. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

प. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की भी आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।

फ. प्राधिकारी ने व्यापार सूचना संख्या 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के माध्यम से विहित ढंग के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पारस्परिक आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोध की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोध को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न करने की स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया।

ब. जाँच के अनिवार्य तथ्यों, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार रहे, वाले एक प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों को 01 सितंबर, 2025 को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए 8 सितंबर, 2025 तक का समय दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर इन अंतिम जांच परिणामों में संगत और गैर-दोहराव वाली पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।

भ. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर उस सीमा तक विचार किया है जहां वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हैं।

म. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और एडी नियम, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

य. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.69 रुपये है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-

"3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) है। इसमें सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे कॉयल में हों या नहीं, चाहे उनकी चौड़ाई और मोटाई कुछ भी हो।

4. सीआरएनओ की विशेषता यह है कि इसमें शीट के तल में सभी दिशाओं (गैर-उन्मुख) में लगभग समान चुंबकीय और विद्युत गुण होते हैं। इसके विपरीत, ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (जीओईएस) में शीट के तल में लंबाई की दिशा में बेहतर चुंबकीय और विद्युत गुण होते हैं, लेकिन अन्य दिशाओं में कम अनुकूल गुण होते हैं।

5. सीआरएनओ को नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एनओईएस), नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (एनजीओ), नॉन-ओरिएंटेड स्टील (एनओ), कोल्ड-रोल्ड नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरएनजीओ) आदि भी कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

6. पीयूसी में सभी प्रकार के सीआरएनओ शामिल हैं, चाहे वे कोटेड हों या नहीं (जैसे, एनामेल, वार्निश, प्राकृतिक ऑक्साइड सतह, फॉस्फेट सतह या अन्य सामग्रियों से रासायनिक रूप से उपचारित)।

<u>अपवर्जन</u>

7. सीआरएनओ के निर्माण में प्रयुक्त कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएफएच) को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

उपयोग

8. सीआरएनओ का व्यापक रूप से बड़े आकार के बिजली जनरेटर से लेकर छोटे आकार के सटीक इलेक्ट्रिक मोटरों तक, घूर्णन मशीनों की लौह कोर सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग घरेलू उपकरणों, एचईवी/ईवी ट्रैक्शन मोटर, बड़े जनरेटर, औद्योगिक मोटर आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है।

टैरिफ वर्गीकरण

9. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्षों 72251920, 72251990, 72261920 और 72261990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, पीयूसी के आयात कतिपय अन्य एचएस कोडों अर्थात 72255010, 72107000, 72261910, 72269110 और 72261100 में भी यह देखा गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

10. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

पीयूसी के लिए पीसीएन				
क्र.सं.	**गुण**	**अंकों की संख्या**	**विवरण**	**कोड**
1	मोटाई	2	0.35 मिमी तक	टी1
			0.35 मिमी से अधिक और 0.5 मिमी तक	टी 2
			0.5 मिमी से अधिक	टी3
2	कोर लॉस (50 हर्ट्ज़ आवृत्ति और 1.5 टेस्ला के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर)	2	3.50 वाट/किग्रा तक और उसके सहित	सी1

पीयूसी के लिए पीसीएन				
क्र.सं.	***गुण***	***अंकों की संख्या***	***विवरण***	***कोड***
			3.50 वाट/किग्रा से अधिक और 5.00 वाट/किग्रा तक	*सी2*
			5.00 वाट/किग्रा से अधिक	*सी3"*

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. स्टील ग्रेड 30एसडब्ल्यू1500 का उपयोग नवीन ऊर्जा वाहनों, ड्रोन और अन्य उच्च स्तरीय उपकरणों के उत्पादन में किया जाता है और भारत में घरेलू उत्पादक इस उत्पाद का उत्पादन नहीं करते हैं। अत:,स्टील ग्रेड 30एसडब्ल्यू1500 को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने "कोर लॉस" को एक मापदंड के रूप में देखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति का विरोध किया है और इसके लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव रखा है:

कोर लॉस	**पीसीएन कोड**
4.00 वाट/किग्रा तक और उसके सहित	सी1
4.00 वाट/किग्रा से अधिक और 6.00 वाट/किग्रा तक	सी2
6.00 वाट/किग्रा से अधिक	सी3

iii. संबद्ध वस्तु के आयातक/प्रयोक्ता पोगेनैम्प नागरशेठ पॉवरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया है कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित ग्रेड उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं:

अपवर्जन के लिए अनुरोध किए गए ग्रेड		
i. 35CS1850HF	x. 25CS2000P	xix. 20CS1200FY
ii. 35CS1750HF	xi. 25CS1500HF	xx. 20CS1200HF

iii. 30CS2000P	xii. 25CS1350HF	xxi. 20CS1150FY
iv. 30CS1800HF	xiii. 25CS1250HF	xxii. 15CS1200HF
v. 30CS1600FY	xiv. 25CS1250FY	xxiii. 15CS1000FY
vi. 30CS1450HF	xv. 25CS1200FY	
vii. 27CS2000P	xvi. 25CS1180FY	
viii. 27CS1450HF	xvii. 20CS1500HF	
ix. 27CS1450FY	xviii. 20CS1300FY	

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पोगेनैम्प नागरशेठ पावरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1 नवंबर, 2024 अर्थात जाँच शुरूआत के एक महीने से अधिक समय बाद, पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं। आयातक द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियाँ अस्वीकार कर दी जानी चाहिए क्योंकि वे 21 अक्टूबर, 2024 की नियत तारीख के बाद प्रस्तुत की गई हैं।

ii. आईएस 648:2022, पीयूसी के लिए अनिवार्य बीआईएस मानक है। यह सीआरएनओ के विभिन्न ग्रेडों के लिए निम्नलिखित नाम प्रदान करता है:

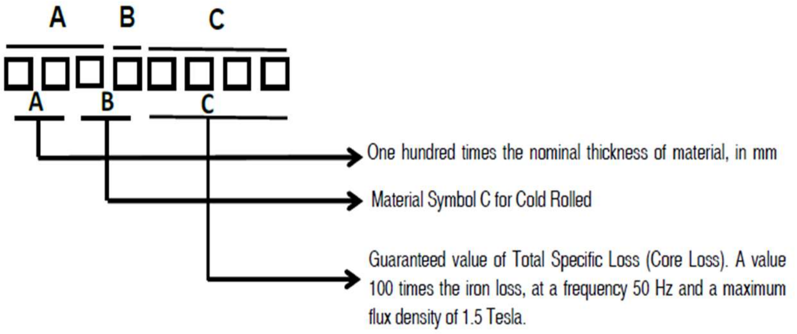

NOTE A = One hundred times the nominal thickness of the product, in mm. B = Material Symbol C for Cold Rolled. C = One hundred times the maximum value of specific total loss in W/kg at 1.5 Tesla, 50 Hz.

Examples

A sheet or strip of 0.50 mm thickness, tested at 1.5 Tesla, 50 Hz and specific total loss 2.70 W/kg shall be designated as 50C270.

ए. सामग्री की मिमी में नाममात्र की मोटाई के 100 गुना
बी. कोल्ड रोल्ड के लिए मैटेरियल सिंबल
सी. कुल विशिष्ट लॉस (कोर लॉस का गांरटी युक्त मूल्य) । आयरन लॉस के 100 गुना मूल्य, 50 हार्ट्ज की आवृत्ति और 1.5 फ्लक्स अधिकतम टेस्ला की डेंसिटी पर ।

नोट: ए = सामग्री की मिमी में नाममात्र की मोटाई के 100 गुना।
बी = कोल्ड रोल्ड के लिए मैटेरियल सिंबल
सी = 1.5 टेस्ला के भार/किग्रा, 50 हार्ट्ज में कुल लॉस के अधिकतम मूल्य का 100 गुना।

उदाहरण- 0.50 मिमी मोटाई की एक शीट या स्ट्रिप को 1.5 टेस्ला, 50 हार्ट्ज पर परीक्षित किया जाता है और विशिष्ट कुल लॉस 2.70डब्ल्यू/किग्रा को 50सी270 के रूप में नामित किया जाएगा।

iii. उदाहरण के लिए, स्टील ग्रेड 30सीएस2000पी में पहले 2 अंक "30" मोटाई (.30 मिमी) दर्शाते हैं, अगले दो अंक "सीएस" ब्रांडिंग दर्शाते हैं और अंतिम 4 अंक "2000" 1.0 टेस्ला के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर 400 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 20 का कोर लॉस दर्शाते हैं। आईएस 648:2022, बीआईएस मानक का दायरा इस प्रकार प्रावधान करता है:

“यह मानक 3.5 प्रतिशत तक सिलिकॉन सामग्री वाले गैर-उन्मुख विद्युत स्टील, कोल्ड रोल्ड, इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड, पूर्णतः प्रसंस्कृत विद्युत स्टील और स्ट्रिप की आवश्यकताओं को शामिल करता है, जो मुख्य रूप से विद्युत आवृतियों पर संचालित स्थिर और घूर्णन मशीनों के लिए अभिप्रेत हैं।

यह मानक 0.35 मिमी, 0.5 मिमी, 0.65 मिमी और 1.00 मिमी की नाममात्र मोटाई में कोल्ड रोल्ड गैर-उन्मुख विद्युत स्टील शीट और स्ट्रिप के ग्रेड को परिभाषित करता है। *यदि आवश्यक हो और क्रेता और निर्माता के बीच सहमति हो, तो निर्माता द्वारा क्रेता को स्टील शीट/स्ट्रिप्स के विशिष्ट, भौतिक और यांत्रिक गुणों की आपूर्ति की जाएगी।”*

iv. आईएस 648:2022, 0.35 मिमी, 0.5 मिमी, 0.65 मिमी और 1.00 मिमी की नाममात्र मोटाई में कोल्ड रोल्ड गैर-उन्मुख विद्युत स्टील शीट और स्ट्रिप के ग्रेड को शामिल करता है। .35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड नए युग के उत्पाद हैं (मुख्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए) और अनिवार्य बीआईएस मानक के अंतर्गत नहीं आते हैं जैसा कि आईएस 648:2022 के उपर्युक्त दायरे से देखा जा सकता है। आयातक/प्रयोक्ता द्वारा सूचीबद्ध लगभग सभी ग्रेड .35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड हैं और अनिवार्य बीआईएस मानक के अंतर्गत नहीं आते हैं।

v. 35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड 30सीएस2000पी और अन्य समान ग्रेड नए युग के उत्पाद हैं (मुख्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले) और 2022 में शुरू किए गए आईएस 648:2022 के अंतर्गत नहीं आते थे क्योंकि हाल के समय तक इन ग्रेडों की मांग न के बराबर थी। यदि आईएस 648:2022 के अंतर्गत न आने वाले ग्रेड बेचे जाने हैं, तो इस्पात मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवश्यक है। इस्पात मंत्रालय ने ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है (बीआईएस वेबसाइट - एफएक्यू- https://www.bis.gov.in/product-certification/product-certiएफication-faq/)।

vi. यदि भारत में वाणिज्यिक मात्रा में मांग है तो घरेलू उद्योग 0.35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है। घरेलू उद्योग ने भारत में किसी भी प्रयोक्ता को .35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड की आपूर्ति से इंकार नहीं किया है। यदि ऑर्डर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग .35 से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है।

vii. घरेलू उद्योग ने वास्तव में इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स के लिए समान विनिर्देशनों के स्टील ग्रेड का उत्पादन किया है। ईवी डिज़ाइन के आधार पर प्रयोक्ता को .25 या .27 या .30 मोटाई और 15.00 वाट/किग्रा या 14.5 वाट/किग्रा या 12.5 वाट/किग्रा आदि की कोर लॉस की आवश्यकता हो सकती है।

viii. सीएससीआई ने पहले ही भारत में ग्रेड 27सी1450 का सफल परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है और पोस्को ने पहले ही भारत में ग्रेड 25पीएनएक्स1250एफ और 27पीएनएक्स1350एफ का सफल परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है। इन ग्रेडों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उत्पादन की परीक्षण रिपोर्ट प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर दी गई है।

ix. पोगेनैम्प ने एक सामान्य दावा किया है कि भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा कुछ ग्रेड का उत्पादन नहीं किया जाता है। पोगेनैम्प को यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि उन्होंने घरेलू उत्पादकों को किसी विशेष ग्रेड के लिए ऑर्डर दिया था और घरेलू उत्पादकों ने उन्हें उस विशेष ग्रेड की आपूर्ति करने से मना कर दिया था। ऐसी जानकारी के अभाव में, पोगेनैम्प द्वारा प्रस्तुत अनुरोध का कोई महत्व नहीं है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

7. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से संबंधित तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर उनकी जाँच की है।

8. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति न किए जाने के कारण, संबद्ध वस्तु के पतले ग्रेड (0.35 मिमी से कम मोटाई वाले) को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर रखने के पोगेनैम्प के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोगेनैम्प ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चले कि उन्होंने ऐसे ग्रेड की संबद्ध वस्तु की आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग को कोई ऑर्डर दिया है और घरेलू उद्योग द्वारा उसे अस्वीकार/मना कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पोगेनैम्प ने जाँच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से वाणिज्यिक मात्रा में ऐसे ग्रेड की संबद्ध वस्तु के आयात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि आईएस 648:2022 एक अनिवार्य बीआईएस मानक है और इसमें 0.35 मिमी, 0.5 मिमी, 0.65 मिमी और 1.00 मिमी की नाममात्र मोटाई वाली कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और स्ट्रिप के ग्रेड शामिल हैं। 0.35 मिमी से कम मोटाई वाले स्टील ग्रेड नए युग के उत्पाद हैं और अनिवार्य बीआईएस मानक के अंतर्गत नहीं आते हैं।

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दोनों ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले 0.35 मिमी से कम मोटाई वाले संबद्ध वस्तु के उत्पादन को प्रमाणित करने वाली परीक्षण उत्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जब भी उन्हें इसके लिए ऑर्डर दिया जाता

है, तो वे 0.35 मिमी से कम मोटाई वाले संबद्ध वस्तु की आपूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम हैं।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन पद्धति का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद श्रेणियों में लागत और कीमत अंतर को सटीक रूप से दर्शाया जाए। तथापि, न तो आयातक और न ही निर्यातक ने यह प्रदर्शित किया है कि निष्पक्ष तुलना प्राप्त करने या विभिन्न श्रेणियों में लागत और कीमत भिन्नताओं को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए पीसीएन में संशोधन आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, पीसीएन पद्धति में उनके प्रस्तावित संशोधनों को उचित ठहराने के लिए कोई सहायक जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

11. यह नोट किया जाता है कि निर्यातक और/या आयातक द्वारा सुझाए गए संशोधन घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते हैं। इसलिए, प्राधिकारी निर्यातक और आयातक द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं करने का निष्कर्ष निकालते हैं।

12. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पीयूसी और पीसीएन पद्धति का दायरा वही है जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में नोट किया गया है और जैसा कि 26 नवंबर, 2024 के नोटिस द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) है। इसमें सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे कॉइल में हों या नहीं, चाहे उनकी चौड़ाई और मोटाई कुछ भी हो।

4.सीआरएनओ की विशेषता यह है कि इसमें शीट के तल में सभी दिशाओं (गैर-उन्मुख) में लगभग समान चुंबकीय और विद्युत गुण होते हैं। इसके विपरीत, ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (जीओईएस) में शीट के तल में लंबाई की दिशा में बेहतर चुंबकीय और विद्युत गुण होते हैं, लेकिन अन्य दिशाओं में कम अनुकूल गुण होते हैं।

5.सीआरएनओ को नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एनओईएस), नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (एनजीओ), नॉन-ओरिएंटेड स्टील (एनओ), कोल्ड-रोल्ड नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड

स्टील (सीआरएनजीओ) आदि भी कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

6. पीयूसी में सभी प्रकार के सीआरएनओ शामिल हैं, चाहे वे लेपित हों या नहीं (जैसे, एनामेल के साथ, वार्निश, प्राकृतिक ऑक्साइड सतह, फॉस्फेट सतह, या अन्य सामग्रियों से रासायनिक उपचारित)।

अपवर्जन

7. सीआरएनओ के निर्माण में प्रयुक्त कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएफएच) को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

उपयोग

8. सीआरएनओ का व्यापक रूप से बड़े आकार के बिजली जनरेटर से लेकर छोटे आकार के सटीक इलेक्ट्रिक मोटरों तक, घूर्णन मशीनों की लौह कोर सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग घरेलू उपकरणों, एचईवी/ईवी ट्रैक्शन मोटर, बड़े जनरेटर, औद्योगिक मोटर आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है।

टैरिफ वर्गीकरण

9. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्षकों 72251920, 72251990, 72261920 और 72261990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, कुछ अन्य एचएस कोड जैसे 72255010, 72107000, 72261910, 72269110 और 72261100। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

10. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

पीयूसी के लिए पीसीएन				
क्र.सं.	**गुण**	**अंकों की संख्या**	**विवरण**	**कोड**
1	मोटाई	2	0.35 मिमी तक	टी1
			0.35 मिमी से अधिक और 0.5 मिमी तक	टी 2

पीयूसी के लिए पीसीएन				
क्र.सं.	गुण	अंकों की संख्या	विवरण	कोड
			0.5 मिमी से अधिक	टी3
2	कोर लॉस (50 हर्ट्ज़ आवृत्ति और 1.5 टेस्ला के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर)	2	3.50 वाट/किग्रा तक और उसके सहित	सी1
			3.50 वाट/किग्रा से अधिक और 5.00 वाट/किग्रा तक	सी2
			5.00 वाट/किग्रा से अधिक	सी3"

13. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तु के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

14. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु, नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर, संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. भारतीय उत्पादन में आवेदकों की हिस्सेदारी 55-65% के बीच है। तदनुसार, आवेदकों की हिस्सेदारी कुल भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक है, जिसका अर्थ है कि आवेदकों के पास कुल उत्पादन में 'अधिकांश हिस्सा' है और वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार 'प्रमुख अनुपात हिस्सेदारी' की अपेक्षा को स्पष्ट रूप से पूरा करते हैं।

ii. किसी भी आवेदक ने चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। कोई भी आवेदक चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

iii. आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे यह निष्कर्ष निकालें कि वर्तमान जाँच में आवेदकों के पास घरेलू उद्योग के रूप में अपेक्षित स्थिति है।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

17. एडी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

18. वर्तमान मामले में आवेदन पॉस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उत्पादन में आवेदकों की हिस्सेदारी 55-65% के बीच है। तदनुसार, कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों की हिस्सेदारी 50% से अधिक है,

जिसका अर्थ है कि कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों का 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी आवेदक ने चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी आवेदक चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

19. अतः, रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. उत्पादकों/निर्यातकों ने मालिक/प्रमुख शेयरधारकों की सूची और उनकी संबद्धता, भारत को घरेलू और निर्यात बिक्री के लिए विपणन/वितरण चैनल विवरण, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए दावा किए गए समायोजनों का विवरण, विनिर्माण प्रक्रिया और पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के नाम के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।

ii. जियांग्सू शगांग और यांग्त्ज़े ने अपने प्रश्नावली उत्तर के खंड ई के प्रश्न 1 के उत्तर में दावा किया है कि उन्होंने अपनी संबद्ध कंपनियों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। तथापि, जियांग्सू शगांग और यांग्त्ज़े ने अपने प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 1 में भारत को किसी भी निर्यात की सूचना नहीं दी है।

iii. शूगांग ज़िक्सिन, शूगांग हांगकांग और शूगांग इंटरनेशनल ने अपने-अपने प्रश्नावली उत्तरों में बीजिंग शूगांग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ('बीजिंग शूगांग') का ब्रोशर प्रदान किया है। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे यह सत्यापित करें कि क्या बीजिंग शूगांग भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात/बिक्री में शामिल है।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के गोपनीयता दावों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

22. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश विभिन्न पक्षकारों के बीच ई-मेल पत्राचार के माध्यम से निरीक्षण हेतु सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है।

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम(2), नियम 15 के उपनियम(4) और नियम 17 के उपनियम(4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

24. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की, जहाँ तक संगत समझा गया, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई है और तदनुसार उनका समाधान किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की

पर्याप्तता के संबंध में विधिवत रूप से जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है।

च. <u>विविध</u>

च.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. विविध मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी ने संबद्ध जाँच की शुरूआत करते समय डीजी सिस्टम से आयात आंकड़ों पर पहले ही विचार कर लिया है। जांच शुरूआत अधिसूचना का संगत भाग नीचे दिया गया है:

"19. संबद्ध वस्तु के निर्यात कीमत की गणना डीजी सिस्टम के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। कीमतों को कारखानाद्वार स्तर पर ज्ञात करने के लिए उचित कीमत समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य से तुलनीय हो जाएँ।"

ii. प्राधिकारी ने 12 दिसंबर, 2024 की अपनी जांच शुरूआत अधिसूचना के तहत भारत में "नॉन अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पाद" के आयात के संबंध में एक रक्षोपाय जाँच शुरू की थी। इसके बाद, प्राधिकारी ने 18 मार्च, 2025 को रक्षोपाय लागू करने की सिफारिश करते हुए अपने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे। प्राधिकारी ने रक्षोपाय जाँच में सीआरएनओ को विशेष रूप से पीयूसी के दायरे से बाहर रखा था।

iii. घरेलू उद्योग सीआरएनओ के उत्पादन के लिए सीआरएफएच और/या एचआरएनओ का आयात करता है। आवेदकों ने संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में प्रयुक्त अपने कच्ची सामग्री, अर्थात् कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड (सीआरएफएच) और हॉट रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एचआरएनओ) को रक्षोपाय जाँच

से बाहर रखने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में सीआरएफएच और एचआरएनओ को बाहर रखने के दावों की जाँच की है। तथापि, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री, सीआरएफएच और एचआरएनओ को रक्षोपाय जाँच से बाहर नहीं रखा है।

iv. यदि वर्तमान जाँच के अनुसार सीआरएफएच और एचआरएनओ पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है और सीआरएनओ पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो इससे एक विपरीत शुल्क संरचना बन जाएगी, अर्थात कच्ची सामग्री का आयात रक्षोपाय शुल्क के अधीन होगा, लेकिन अंतिम वस्तु व्यापार उपचार उपाय के अधीन नहीं होगी। इससे प्रतिस्पर्धी स्थितियाँ विदेशी निर्यातकों के पक्ष में हो जाएँगी। सीआरएनओ के लिए भारतीय उद्योग अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा क्योंकि प्राथमिक कच्ची सामग्री, सीआरएफएच और/या एचआरएनओ की खरीद की लागत में वृद्धि के कारण उनकी उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी। घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप सीआरएनओ का बिक्री कीमत नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि चीन जन. गण. से भारत में सीआरएनओ का पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम बनी रहेगी। इससे सीआरएनओ की घरेलू बिक्री पर घरेलू उद्योग को होने वाला घाटा और बढ़ जाएगा।

v. पोगेनैम्प ने 18 मार्च, 2025 को संबद्ध जाँच में आयोजित मौखिक सुनवाई में भाग लिया। पोगेनैम्प ने उक्त मौखिक सुनवाई के दौरान अनुरोध किए थे। तथापि, पोगेनैम्प ने मौखिक सुनवाई के बाद कोई लिखित अनुरोध दायर/परिचालित नहीं किया है। एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मौखिक सूचना पर तभी विचार किया जाएगा जब उसे बाद में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

vi. पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि घरेलू उद्योग पात्र घरेलू उद्योग होने के लिए एकीकृत उत्पादक हो। प्राधिकारी ने अनेक जाँचों में उन घरेलू उत्पादकों को पात्र घरेलू उद्योग माना है जो बैकवर्ड एकीकृत नहीं हैं। निम्नलिखित पाटनरोधी जाँचों में, प्राधिकारी ने उन घरेलू उत्पादकों को पात्र घरेलू उत्पादक माना है जो बैकवर्ड एकीकृत नहीं थे:

- *कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर से इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।*
- *चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से कलर कोटेड स्टील के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।*

- *चीन जन. गण. से एल्युमिनियम फॉयल के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।*

vii. शूगांग इंटरनेशनल ने दावा किया है कि भारत में उसका कोई कार्यालय नहीं है। तथापि, इंटरनेट पर शोध के आधार पर यह स्पष्ट है कि शूगांग इंटरनेशनल की वास्तव में भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। शौगांग इंटरनेशनल का न केवल भारत में एक कार्यालय है, बल्कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'चाइना शौगांग (इंडिया) कंपनी लिमिटेड' ('शौगांग इंडिया') भी है, जो शौगांग इंटरनेशनल के लिए व्यावसायिक विकास, बिक्री और सेवाएँ प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस प्रकार, शौगांग इंटरनेशनल का भारत में कोई कार्यालय नहीं होने का दावा असत्य और गलत है।

viii. निम्नलिखित 2 कंपनियों के प्रश्नावली के उत्तर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियत तारीख के बाद विलंब से प्रस्तुत किए गए थे और इसलिए उनके प्रश्नावली के उत्तर स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए:

- टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड
- बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

ix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने रक्षोपाय संबंधी प्रारंभिक जांच परिणामों से एचआर प्लेट्स और सीआर कॉइल्स और शीट्स के आयात कीमत रुझान को पुनः प्रस्तुत करते समय आधार वर्ष को 2021-22 के बजाय 2020-21 के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया है। यदि तुलना के लिए 2021-22 को आधार वर्ष माना जाए, तो एक ओर एचआर प्लेट्स और सीआर कॉइल्स एवं शीट्स के रुझान और दूसरी ओर घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट होगा कि 2021-22 को आधार वर्ष मानकर घरेलू उद्योग के लिए बिक्री लागत या कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट आ रही है, जो कि रक्षोपाय जांच में एचआर प्लेट्स और सीआर कॉइल्स एवं शीट्स के मामले में भी समान है।

x. रक्षोपाय जांच के प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार, एचआर कॉइल्स एवं शीट्स, एचआर पाटे मिल प्लेट्स और सीआर कॉइल्स एवं शीट्स की बिक्री लागत वास्तव में 2021-22 से 2023-24 में बढ़ गई है। दूसरी ओर, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत वास्तव में 2021-22 से 2023-24 में घट गई है। अत:, यह दावा कि रक्षोपाय जाँच में प्रारंभिक जांच परिणामों के

आधार पर संबंधित पक्षकारों से खरीदी गई कच्ची सामग्री की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है, पूरी तरह से निराधार है।

xi. वर्तमान जाँच में जाँच अवधि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 है, जबकि रक्षोपाय जाँच में जाँच अवधि 1 अक्टूबर, 2023 से 30 सितंबर, 2024 है। इस सीमा तक भी, कीमत के रूझान में पूर्ण सहसंबंध नहीं हो सकता है।

xii. प्राधिकारी ने "नॉन अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पाद" के आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच में दिनांक 18 मार्च, 2025 के प्रारंभिक जांच परिणामों में सिफारिश की है कि भारत में आयातित कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और शीट्स पर रक्षोपाय शुल्क तब लगाया जाना चाहिए जब वे 824 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन (सीआईएफ) के आयात कीमत से कम पर भारत में आयात किए जाएँ। इसका अर्थ है कि प्राधिकारी का मानना है कि कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और शीट्स [कच्ची सामग्री कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड ("सीआरएफएच") सहित] का भारत में आयात कीमत 824 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन से कम होना अनुचित और घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक है। इस प्रकार, जब तक आवेदकों की खरीद कीमत 824 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन के दायरे में है, तब तक खरीद कीमत की संबंध के कारण प्रभाव पड़ने या खरीद कीमत के बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में, प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम विदेशी निर्यातकों को 824 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन से कम कीमत पर भारत को निर्यात न करने का निर्देश है।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़े प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को वर्तमान जाँच में आयातों की जाँच के लिए डीजी सिस्टम्स के आँकड़े जाँच शुरू करते समय ही माँगने चाहिए थे।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा संबंधित पक्षकारों से आयातित प्राथमिक कच्ची सामग्री की कीमतों की जाँच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षति जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है।

iii. "नॉन अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पाद" के आयात से संबंधित हाल के रक्षोपाय जाँच में जाँची गई एचआर प्लेटों और सीआर कॉइल्स/शीट्स की आयात कीमतों में 2020-21 से जाँच अवधि तक कीमतों में स्थिरता या

मामूली कमी दिखाई देती है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि का रुझान दिखाई देता है।

iv. यह समझना आवश्यक है कि क्या कच्ची सामग्री की आयात कीमतें कंपनियों के बीच संबंधों से प्रभावित थीं या प्रचलित बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित की गई थीं।

v. चीन में सीआरएनजीओ के निर्माण की स्थापित क्षमता वैश्विक स्थापित क्षमता का लगभग 70% या 1,31,00,000 मीट्रिक टन है, जबकि भारत की स्थापित क्षमता वैश्विक स्थापित क्षमता का लगभग 5% है। पोगेनैम्प ने चीन जन. गण. के लिए निम्नलिखित विनिर्माता-वार क्षमता प्रदान की है:

विनिर्माताओं की सूची	वार्षिक क्षमता (मीट्रिक टन में)
बाओ स्टील, चीन	13,00,000
विस्को, चीन	14,00,000
झांजियांग, चीन	6,00,000
शौगांग, चीन	14,00,000
शागांग, चीन	20,00,000
विस्ड्री, चीन	7,00,000
एनस्टील, चीन	8,50,000
टिस्को, चीन	14,00,000
एमए स्टील, चीन	5,50,000
अन्य 12 मिलें, चीन	30,00,000

vi. जेएसडब्ल्यू और सेल भारत में ब्लास्ट फर्नेस पद्धति का प्रयोग करके सीआरएनजीओ इलेक्ट्रिकल स्टील का उत्पादन करते हैं, जबकि पोस्को इंडिया और चाइना स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केवल प्रोसेसर हैं और कच्ची सामग्री, अर्थात कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील और हॉट रोल्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील के आयात पर निर्भर हैं। भारत को एकीकृत इस्पात संयंत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रिकल स्टील का उत्पादन करने के लिए घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की अत्यधिक आवश्यकता है। पीयूसी की कमी का एकमात्र कारण घरेलू इस्पात विनिर्माताओं के पास सीआरएनजीओ इलेक्ट्रिकल स्टील के निर्माण की क्षमता का अभाव है।

vii. पीयूसी की घरेलू मांग 750,000 मीट्रिक टन है, जिसमें से 630,000 मीट्रिक टन का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जाता है और 120,000 मीट्रिक टन की कमी आयात द्वारा पूरी की जाती है। लगभग 10%-12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

(सीएजीआर) को देखते हुए, यह कमी हर वर्ष 200,000 मीट्रिक टन तक बढ़ने की संभावना है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि और जाँच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदावार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह विवरण प्राधिकारी को प्राप्त हुआ और जाँच शुरूआत के समय तथा अंतिम जांच के लिए भी इस पर विचार किया गया।

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमतों का सत्यापन किया है और अपने विश्लेषण में विधिवत रूप से सत्यापित कच्ची सामग्री की कीमतों को अपनाया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के घटक कच्ची सामग्री का आयात कर रहे हैं।

29. हितबद्ध पक्षकारों ने रक्षोपाय जाँच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एचआर प्लेटों और सीआर कॉइल्स/शीट्स की कीमतों की प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए यह सुझाव दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आयातित कच्ची सामग्री की कीमत बढ़ाई गई हो सकती है। हितबद्ध पक्षकारों ने रक्षोपाय जाँच में एचआर प्लेटों और सीआर कॉइल्स/शीट्स की कीमतों की प्रवृत्ति की तुलना वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से गलती से की है। रक्षोपाय जांच में क्षति जांच अवधि का आधार वर्ष 2021-22 है जबकि वर्तमान पाटनरोधी जांच में आधार वर्ष 2020-21 है। हितबद्ध पक्षकारों ने रक्षोपाय जांच में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए एचआर प्लेट्स और सीआर कॉइल्स/शीट्स की कीमतों के सूचीबद्ध आंकड़े कहीं और से लिए हैं और वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत की प्रवृत्ति के साथ तुलना करते हुए इसे गलती से वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के सूचीबद्ध आंकड़ों के रूप में दर्शाया है।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि पाटनरोधी उपायों से संरक्षण की मांग करने वाले घरेलू उद्योग को ऐसी संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन भी करना चाहिए या घरेलू

उद्योग पूरी तरह से बैकवर्ड एकीकृत होना चाहिए और संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री की खरीद पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

छ. **<u>बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी), सामान्य मूल्य का निर्धारण, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>**

31. अधिनियम की धारा 9(1)(ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिकबिक्री औ ,र सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता हैअथवा , वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण ,निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित किए गए अनुरोध दी गई हैं:

i. चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध I के पैरा *8 (2)* और (*3)* के साथ पठित पैरा-*7* के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। नियमों के अनुबंध I के पैरा *8* के अनुसार, यह माना जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इसलिए, चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमों के अनुबंध I के पैरा *7* के अनुसार लगाया जाना चाहिए।

ii. एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद *15(*घ) के अनुसार, *15(*क)(*ii)* का प्रावधान दिसंबर *2016* में समाप्त हो गया है, अर्थात चीन जनवादी गणराज्य के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के *15* वर्ष बाद। हालाँकि, अनुच्छेद *15(*क)(*i),* जो चीन जनवादी गणराज्य के लिए गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था की धारणा प्रदान करता है, अभी भी लागू है। इसलिए, यह मान्य धारणा मौजूद है कि चीन जनवादी गणराज्य पाटनरोधी जाँच के लिए एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

iii. प्राधिकारी यह नोट करें कि उत्तर देने वाले किसी भी निर्यातक ने लागू प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करके बाज़ार अर्थव्यवस्था के उपचार का दावा नहीं किया है और इस संदर्भ में, पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-I के पैरा *7* और *8* के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है।

छ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. सामान्य मूल्य के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित किए गए अनुरोध की गई हैं:

i. चीन का एसेसन प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यूरोपीय संघ के खिलाफ चीन जन.गण. द्वारा शुरू किए गए "फास्टनर मामले" पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में प्रोटोकॉल के अनुच्छेद *15(*क) और *15(*ख) के बीच संबंध पर भरोसा किया है, जिसने चीन को बाजार में

स्वचालित रूप से जन.गण. का दर्जा प्राप्त करने का मजबूत औचित्य प्रदान किया है। प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 समाप्त हो रहा है।

ii. 11 दिसंबर *2016* के बाद, पाटनरोधी विनियमों में चीनी निर्यातक उत्पादकों के लिए उनके घरेलू कीमतों और लागतों के अलावा किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य की स्थापना की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं हो सकता है।

iii. विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के तहत भारत के पास गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करके चीन जनवादी गणराज्य से आने वाले उत्पादों की एंटी-डंपिंग जाँच में सामान्य मूल्य की गणना करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई जी ए टी टी के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी समझौते की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगी।

iv. प्राधिकारी सामान्य मूल्य की गणना में सरोगेट देश पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता है, भले ही चीन जन.गण. को *पैक्टा संट सर्वंदा* के सिद्धांत, विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल की धारा *15* और चीन जन.गण. द्वारा शुरू की गई ईसी-फास्टनर्स पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के कारण बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता हो या नहीं।

v. चीन के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश प्रोटोकॉल के अनुसार चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, इसकी पुष्टि "ईसी-फास्टनर्स" में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय द्वारा भी की गई थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन जन.गण. के साथ अपने-अपने द्विपक्षीय समझौते में भी चीन के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के 15 वर्ष बाद गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा समाप्त होने के बारे में उल्लेख किया था।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

34. प्राधिकारी ने संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से जानकारी प्रदान करने का परामर्श दिया गया था। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करके जाँच में भाग लिया है:

i. बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
ii. बाओस्टील झानजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
iii. बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
iv. वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
v. झांगजियागांग यांग्त्ज़ी रिवर कोल्ड रोल्ड शीट कंपनी लिमिटेड

vi. जियांग्सू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
vii. जियांग्सू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
viii. शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर (*PTE)* लिमिटेड
ix. क्यूमिक स्टील लिमिटेड
x. वेलॉन्ग रिसोर्सेज लिमिटेड
xi. टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड
xii. शौगांग ज़िक्सिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स (क़ियानआन) कंपनी लिमिटेड
xiii. शौगांग होल्डिंग ट्रेड (हांगकांग) लिमिटेड
xiv. चाइना शौगांग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन

छ.3.1 चीन गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

क) चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

35. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं,

उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

36. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(*ii)* में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, तथापि पाटनरोधी प्रोटोकॉल के पैराग्राफ 8 में अपेक्षित अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(*i)* के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी पर डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।

37. तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

ख) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

38. चूँकि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार हेतु अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध / के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। नियमों के अनुबंध / के पैरा 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

7.''गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ''

8.(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नहीं दर्शाती है।"

(2)यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्याः (क)*ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;* (ख) *ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;* (ग) *ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है (घ)विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं, तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।*

(4) तथापि, उप पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान सकते हैं जिसे संगत मानदंडों, जिनमें उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांचों के

प्रयोजन के लिए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

39. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर, या जहाँ यह संभव न हो, किसी भी उचित आधार पर, जिसमें विधिवत समायोजित वस्तु के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत या यदि आवश्यक हो तो भारत में समायोजित होने की संभावना वाली कीमत शामिल है, उचित लाभ मार्जिन सहित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-I के अंतर्गत दिए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से किसी अन्य देश को उत्पाद के घरेलू मूल्य, निर्मित मूल्य या निर्यात मूल्य के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिलेख में प्रस्तुत जानकारी और साक्ष्य के आधार पर उपयुक्त देश का चयन करना आवश्यक है। चूँकि न तो आवेदकों और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान की है, इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका।

41. नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 में उल्लिखित अन्य विधियों के संबंध में अभिलेखों में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, प्राधिकारी ने "किसी अन्य उचित आधार" पर विधि पर विचार करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

42. अतः, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों को जोड़कर, विधिवत समायोजित, चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है। चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

घ.4. निर्यात कीमत

छ.4.1 घरेलू उद्योग के माध्यम से किए गए अनुरोध

43. निर्यात मूल्य निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित किए गए अनुरोध दी गई हैं:

    i. बाओस्टील समूह ने दावा किया है कि भारत में उनका कोई कार्यालय नहीं है। हालाँकि, बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (और अन्य संबंधित कंपनियों) के प्रश्नावली उत्तर में दिए गए उत्पाद ब्रोशर से यह स्पष्ट है कि बाओस्टील समूह की भारत में 'बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' ('बाओस्टील इंडिया') के नाम से उपस्थिति है।

    ii. शौगांग इंटरनेशनल ने दावा किया है कि भारत में उसका कोई कार्यालय नहीं है। हालाँकि, इंटरनेट पर शोध के आधार पर यह स्पष्ट है कि शौगांग इंटरनेशनल की वास्तव में भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। शौगांग इंटरनेशनल का न केवल भारत में एक कार्यालय है, बल्कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'चाइना शौगांग (इंडिया) कंपनी लिमिटेड' ('शौगांग इंडिया') भी है, जो शौगांग इंटरनेशनल के लिए व्यावसायिक विकास, बिक्री और सेवाएँ प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस प्रकार, भारत में कोई कार्यालय न होने का शूगांग इंटरनेशनल का दावा झूठा और गलत है।

    iii. निम्नलिखित 2 कंपनियों के प्रश्नावली के उत्तर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि के बाद विलम्ब से दाखिल किए गए थे, इसलिए उनके प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए:

        • टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड
        • बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

    iv. जियांग्सू शगांग और यांग्त्ज़े ने अपने प्रश्नावली के उत्तर के खंड ड. के प्रश्न 1 के उत्तर में दावा किया है कि उन्होंने अपनी संबद्ध कंपनियों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। हालाँकि, यांग्त्ज़े ने प्रश्नावली के उत्तर का परिशिष्ट 3ख दाखिल नहीं किया है, जिसमें व्यापारियों के माध्यम से भारत को निर्यात के संबंध में जानकारी होनी चाहिए।

v. बाओस्टील सिंगापुर ने प्राधिकारी के समक्ष परिशिष्ट 3ख दाखिल किया है, अर्थात, जब किसी कंपनी द्वारा निर्यात संबंधित/असंबंधित व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से किया जाता है। हालाँकि, किसी भी व्यापारी/निर्यातक ने, जिसने बाओस्टील सिंगापुर से संबद्ध वस्तुएँ खरीदी हों और उन्हें भारत में निर्यात किया हो, प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार, बाओस्टील समूह के लिए मूल्य श्रृंखला अपूर्ण बनी हुई है।

vi. शगांग इंटरनेशनल ने अपने प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 1 में भारत को किसी भी निर्यात की सूचना नहीं दी है क्योंकि भारत को पीयूसी निर्यात की बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य की पंक्तियों को खाली छोड़ दिया गया है।

छ.4.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. निर्यात कीमत निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए:

i. यदि प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा करने का निर्णय लेते हैं, तो प्राधिकारी को सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की अलग-अलग दर निर्धारित करनी चाहिए।

छ.4.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

45. चीन जनवादी गणराज्य के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने भाग लिया है और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और उत्पादकों/निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों की जाँच की है। इन उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों की जाँच निम्नानुसार की गई है:

i. **<u>बाओस्टील समूह</u>**

क. <u>वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड</u>

46. जांच अवधि के दौरान: वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन जन. ने एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी, बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ बेची हैं, जिनका बीजक मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। इसमें से बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर ने भारत में असंबंधित क्रेताओं को सीधे *** मीट्रिक टन और *** मीट्रिक टन वस्तुएँ बेची हैं। बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर ने दो असंबंधित क्यूमिक स्टील रिसोर्सेज लिमिटेड और वेलॉन्ग रिसोर्सेज लिमिटेड के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से बेची हैं और शेष मीट्रिक टन वस्तुएँ अन्य चार असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से बेची गई हैं।

47. इन चार असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों को छोड़कर सभी उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दाखिल कर दिए हैं। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखानागत -स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक शुल्कों और ऋण लागत के मदों में समायोजन का दावा किया है, और इसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख. <u>बाओस्टील झांजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड</u>

48. जांच अवधि के दौरान: बाओस्टील झांजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन जन. ने एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी, बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की हैं, जिनका बीजक मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। इसमें से बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर ने सीधे तौर पर भारत को *** मीट्रिक टन की बिक्री है और बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लि., सिंगापुर द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक अन्य असंबंधित निर्यातक/व्यापारी, टोंगयुआन इंटरनेशनल (एचके) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन बेची गई है।

49. टोंगयुआन इंटरनेशनल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड को छोड़कर सभी उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दिए हैं। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखाना-पूर्व स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक शुल्कों और ऋण लागत के मदों में समायोजन का दावा किया है और डेस्क

सत्यापन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ग. <u>बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड</u>

50. जांच अवधि के दौरान: बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन जन. ने एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी, बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** मीट्रिक टन मूल्य के *** अमेरिकी डॉलर मूल्य के संबद्ध सामानों की बिक्री की है। इसमें से बाओस्टील सिंगापुर प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर ने सीधे *** मीट्रिक टन संबंधित आयातक बाओस्टील इंडिया कंपनी प्रा. लिमिटेड को और *** मीट्रिक टन भारत में असंबंधित खरीदारों को बेचे हैं। शेष मात्रा *** मीट्रिक टन बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर द्वारा अन्य असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों, अर्थात् टोंगयुआन इंटरनेशनल (एचके) कंपनी लिमिटेड और जेएफई के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को बेची गई है। बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने संबंधित वस्तुओं को भारत में असंबंधित ग्राहकों को लाभ पर पुनः बेचा है।

51. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि बाओ स्टील समूह ने संबंधित भारतीय कंपनी, बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का विवरण प्रकट नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने जाँच के दौरान प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है। टोंगयुआन इंटरनेशनल (एचके) कंपनी लिमिटेड और जेएफई को छोड़कर सभी उत्पादकों/निर्यातकों और संबंधित आयातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपनी प्रश्नावली के उत्तर दाखिल कर दिए हैं। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखाना-पूर्व स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक शुल्कों और ऋण लागत के मदों में समायोजन का दावा किया है और डेस्क सत्यापन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. **<u>शौगांग ज़िक्सिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स (क्रियान'आन) कंपनी लिमिटेड</u>**

52. शौगांग ज़िक्सिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स (क्रियान'आन) कंपनी लिमिटेड ("ज़िक्सिन") ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में बताया कि ज़िक्सिन ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी, शौगांग होल्डिंग ट्रेड (हांगकांग) लिमिटेड के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। एक अन्य संबंधित कंपनी, शौगांग इंटरनेशनल

ट्रेड एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ("शौगांग इंटरनेशनल") कमीशन एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और उसे भारत को निर्यात के लिए ज़िक्सिन द्वारा कमीशन शुल्क का भुगतान किया गया था। यह भी बताया गया कि शौगांग होल्डिंग ट्रेड (हांगकांग) लिमिटेड ने दो असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों, टाक लून स्टील कंपनी लिमिटेड और जेएफई शोजी (हांगकांग) लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं की पुन: बिक्री की है।

53. हालाँकि, सत्यापन के दौरान, प्राधिकारी ने पाया कि वाणिज्यिक बीजक, सीमा शुल्क घोषणा और अन्य निर्यात संबंधी दस्तावेज़ शौगांग इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाते हैं। शूगांग एच.के. ज़िक्सिन द्वारा शूगांग एच.के. को सीधे कोई चालान जारी नहीं किया गया। चूँकि शूगांग इंटरनेशनल द्वारा परिशिष्ट-2 और 3ख में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, शूगांग इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत उत्तर पूरी तरह से अपूर्ण है और ज़िक्सिन तथा शूगांग इंटरनेशनल द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ज़िक्सिन और संबंधित निर्यातकों के उत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं। ज़िक्सिन का निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iii. <u>**झांगजियागांग यांग्त्ज़ी रिवर कोल्ड रोल्ड शीट कंपनी लिमिटेड**</u>

54. झांगजियागांग यांग्त्ज़ी रिवर कोल्ड रोल्ड शीट कंपनी लिमिटेड ("झांगजियागांग यांग्त्ज़ी") द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने घरेलू बाजार में दो संबंधित खरीदारों, अर्थात् जियांगसू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड ("जियांगसू शागांग") और झांगजियागांग फ्री ट्रेड ज़ोन बिनलान ट्रेडिंग को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है।

55. जियांग्सू शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने घरेलू बाजार में संबंधित वस्तुओं को जियांग्सू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड नामक एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी और अन्य पांच असंबंधित ग्राहकों को पुनर्विक्रय किया है। जियांग्सू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड ने संबंधित निर्यातक/व्यापारी, शागांग इंटरनेशनल (सिंगापुर) प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुएं बेची हैं। इसके अतिरिक्त, शागांग इंटरनेशनल (सिंगापुर) प्रा. लि. ने सात असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

56. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग ने परिशिष्ट-3ख में भारत को निर्यात के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। इसके

अतिरिक्त, जियांग्सू शागांग ने भारत को निर्यात के संबंध में निर्यात-योग्यता समीक्षा (ईक्यूआर) में परिशिष्ट-5 में भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए, यह आवश्यक है कि उत्पादक द्वारा जानकारी प्रस्तुत की जाए। परिशिष्ट-3ख प्रारूप में। इसके अलावा, व्यापारी को परिशिष्ट-5 में लाभप्रदता संबंधी जानकारी के साथ भारत को निर्यात का विवरण भी प्रदान करना होगा।

57. प्राधिकारी ने झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग से यह भी स्पष्टीकरण माँगा कि परिशिष्ट-3बी/5 में दी गई जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालाँकि, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग ने बाद में दो महीने से अधिक की देरी के बाद कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की। प्राधिकारी ने पाया कि झांगजियागांग यांग्त्ज़े और जियांग्सू शागांग द्वारा विलंबित रूप से प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत किए गए सहायक दस्तावेजों से मेल नहीं खा रही है। रिपोर्ट की गई मात्रा/मूल्य और पीसीएन के बीच बेमेल है।

58. तदनुसार, प्राधिकारी झांगजियागांग यांग्त्ज़े और संबंधित निर्यातकों के उत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं। झांगजियागांग यांग्त्ज़े की निवल निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

<u>असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य</u>

59. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, निर्यात कीमत, सहयोगी निर्यातकों के लिए जाँचे गए आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है:

<u>पाटन मार्जिन</u>

60. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यातकका नाम	सीएनवी (यूएसडी/एमटी)	निवल निर्यात कीमत (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज

वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	55-65
बाओस्टील झांजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
भारित औसत बाओस्टील समूह	***	***	***	***	**50-60**
अन्य सभी	***	***	***	***	75-85

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच

ज.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

61. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने बाजार आसूचना के अनुसार अपने पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के साथ याचिका दायर की है। प्राधिकारी ने संबद्ध जाँच शुरू करते समय डीजी सिस्टम से लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर पहले ही विचार कर लिया है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि:

- संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात में, निरपेक्ष रूप से और भारत में उत्पादन एवं खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय कमी ला रहे हैं और कीमतों में भारी गिरावट और मंदी पैदा कर रहे हैं।
- चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड काफी बिगड़ गए हैं।

iii. नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान करना प्राधिकारी की सतत प्रथा है। इस मुद्दे का निपटारा सीईएसटीएटी के विभिन्न निर्णयों द्वारा किया जा चुका है। मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53541/2015-सीयू[डीबी] दिनांक 27 नवंबर 2015 के मामले में सीईएसटीएटी ने मानक व्यवहार के रूप में नियोजित पूंजी पर 22% आय की

दर को अनुमति दी थी। सीईटीएसएटी ने एक्ज़िमकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53462/2016-सीयू[डीबी] दिनांक 12 सितंबर 2016 के मामले में इसी सिद्धांत की पुनः पुष्टि की थी।

ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

62. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आँकड़े गलत हैं, इसलिए, मात्रा प्रभाव और मूल्य प्रभाव की जाँच से सही तस्वीर नहीं मिल सकती है।

ii. क्षति जाँच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

iii. प्राधिकारी को उद्योग द्वारा अर्जित उस आरओसीई को उचित लाभ मार्जिन के रूप में अपनाना चाहिए जब पाटन का कोई आरोप नहीं था, न कि 22% आरओसीई को। नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान करना पुरानी प्रथा है और इसे बदला जाना चाहिए।

iv. ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, जहाँ प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए 22% नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की तर्कसंगतता के मुद्दे की जाँच की गई है, यह दर्शाता है कि 22% आरओसीई को अपनाने से क्षति निर्धारण प्रभावित हुआ। इसने कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन को बढ़ा दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकारी को उचित आय की गणना के आधार के रूप में उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ को अपनाना चाहिए जब पाटन का कोई आरोप नहीं था।

v. टी-210/95 यूरोपीय उर्वरक निर्माता संघ (ईएफएमए) बनाम परिषद [1999] ईसीआर II-3291 के मामले में, यूरोपीय संघ न्यायालय ने माना कि लक्ष्य मूल्य की गणना करते समय परिषद द्वारा उपयोग किया जाने वाला लाभ मार्जिन, जो संबंधित क्षति को दूर करेगा, उस लाभ मार्जिन तक सीमित होना चाहिए, जिसे डंप किए गए आयातों की अनुपस्थिति में, सामुदायिक उद्योग प्रतिस्पर्धा की सामान्य स्थितियों के तहत गिना जा सकता है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

63. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में ,पाटित आयातों की मात्रा ..." समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को "... हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई हैजो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ , "गई होती।

64. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमों के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

65. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए अनुरोधों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, की जांच की गई है और उनका समाधान निम्नानुसार किया गया है।

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाते हों। कुछ मानदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य गिरावट नहीं दर्शाते हैं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निर्धारित करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है या होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मानदंडों की निष्पक्ष जांच की है।

ज.3.1 पाटित किए गए आयातों का मात्रा प्रभाव

क) मांग का आकलन

67. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है। इस प्रकार आंकलन किए गए मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण		इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री		एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	119	113	121
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री		एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	128	114	124
चीन जन.गण से आयात		एमटी	9,503	40,246	42,132	99,211
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	424	443	1,044
अन्य देशों से आयात		एमटी	29,348	25,235	18,967	20,080
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	86	65	68
कुल मांग		एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		सूचीबद्ध	100	126	117	138

68. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

- क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से आयात में मुख्य रूप से मांग में वृद्धि शामिल है।

ख) संबद्ध देश की आयात मात्रा और हिस्सेदारी

69. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से, या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और उसका हिस्सा इस प्रकार है:

क्रम. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई

क्रम. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1.	चीन जन.गण से आयात	एमटी	9,503	40,246	42,132	99,211
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	424	443	1,044
2.	कुल आयात	एमटी	38,851	65,481	61,099	1,19,291
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	157	307
3.	घरेलू उद्योग का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	114	124
4.	माँग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	117	138
5.	**निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात**					
क.	कुल आयात	%	24%	61%	69%	83%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	251	282	340
ख.	घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	331	390	841
ग.	माँग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	335	380	756

70. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

- संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वर्ष 2020-21 से जांच अवधि तक समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयात में वर्ष दर वर्ष निरंतर वृद्धि हुई है और वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- कुल आयात में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा वर्ष 2020-21 में 24% से बढ़कर जांच अवधि में 83% हो गया है।
- मांग के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा भी वर्ष 2020-21 में 100 सुचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 756 सुचकांक अंक हो गया है।
- वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में *** एमटी (38%) की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल *** एमटी (21%) की वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि मांग में अधिकांश वृद्धि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

- घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा वर्ष 2020-21 में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 841 सुचकांक अंक हो गया है।

ज.3.2 पाटित किए गए आयातों का मूल्य प्रभाव

71. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के कारण कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों के न्यूनीकरण में अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में घटित होती है, आवश्यक है।

72. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की, कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और शुद्ध बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के पहुंच कीमत से की गई है।

क) कीमत कटौती

73. जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती नीचे दी गई है:

विवरण	**यूओएम**	**कीमत कटौती**
पहूंच कीमत	रुपये/एमटी	73,768
निवल बिक्री प्राप्ति	रुपये/एमटी	***
कीमत कटौती	रुपये/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
श्रेणी	श्रेणी	5-15%

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है तथा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

75. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण रहे हैं या कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना है या घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हो सकती थी, प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों को नोट करते हैं।

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
बिक्री की लागत	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	163	165	141
निवल बिक्री प्राप्ति	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	162	156	130
पहुंच कीमत	रुपये/एमटी	54,872	1,10,973	93,757	73,768
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	202	171	134

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि और वर्ष 2022-23 के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अत्यधिक कम थी। इससे घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास के कारण, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वर्ष 2020-21 की तुलना में 41 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में केवल 30 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

77. नियमों के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जाँच शामिल होगी। नियमों में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक मापदंडों और सूचकांकों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का भी प्रावधान है, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन

मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नवत विचार विमर्श किया गया है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन (पीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	114	124
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	114	124
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	113	121

79. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

i. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में 2020-21 की तुलना में इसी अवधि के दौरान मांग में वृद्धि के कारण जांच अवधि में वृद्धि हुई है। हालाँकि, उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि की तुलना में कम है।

ii. मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम रहा है।

ख) बाजार में हिस्सेदारी

80. क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**

चीन जन.गण से आयात	एमटी	9,503	40,246	42,132	99,211
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	424	443	1,044
अन्य देशों से आयात	एमटी	29,348	25,235	18,967	20,080
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	65	68
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	113	121
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	117	138
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	96	88
चीन जन.गण से आयात का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	335	380	757

81. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

i. आयात में वर्ष दर वर्ष लगातार वृद्धि हुई है और वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

ii. मांग के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा भी 2020-21 में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 757 सूचकांक अंक हो गया है।

iii. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2020-21 में 100 सूचकांक अंक से घटकर जांच अवधि में 88 सूचकांक अंक रह गई है।

iv. वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में *** एमटी (38%) की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल *** एमटी (21%) की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि मांग में अधिकांश वृद्धि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

82. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर पूर्व लाभ	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	(35)	(105)
कर पूर्व लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	175	(40)	(127)
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	34	(11)
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	201	38	(14)
नकद लाभ	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	46	13
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	52	16
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	182	35	(13)

83. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

i. घरेलू उद्योग वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में लाभ कमा रहा था, जब चीन जनवादी गणराज्य से आयात कम मात्रा में हो रहा था। हालाँकि, घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 में हानि होने लगी और जाँच अवधि में हानि अत्यधिक बढ़ गई, जब चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

ii. घरेलू उद्योग के ब्याज और कर से पूर्व लाभ में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को जांच अवधि में हानि हुई है।

iii. घरेलू उद्योग का प्रति एमटी नकद लाभ 2020-21 में 100 सूचकांक अंकों से घटकर जांच अवधि में 16 सूचकांक अंक रह गया है।

iv. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है तथा जांच अवधि में यह नकारात्मक हो गया है।

घ) मालसूची

84. क्षति अवधि के दौरान मालसूची के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	82	83
समापन मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	164	164	206
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	110	123

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2021-22 में गिरावट आई है और तत्पश्चात वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ङ) उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

86. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम. सं	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
1.	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	114	124
2.	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	114	125
3.	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	100	99

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कुछ सीमा तक वृद्धि हुई है, क्योंकि इसी अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

88. क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	पीओआई
उत्पादन	%	28%	-11%	9%
घरेलू बिक्री	%	19%	-5%	8%
पीबीटी (प्रति यूनिट)	%	48%	-124%	-198%
पीबीआईटी (प्रति यूनिट)	%	69%	-80%	-133%
नकद लाभ (प्रति इकाई)	%	10%	-58%	-72%
लागत पर लाभ	%	6%	-11%	-4%
मांग में डीआई का बाजार हिस्सा	%	-2%	0%	-3%

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नकद लाभ, आरओआई और बाजार हिस्सेदारी के मामले में वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि देखी है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

90. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है, जिसके कारण कीमत में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती के कारण भारतीय बाजार में मूल्य ह्रास हुआ है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की माँग में वृद्धि हुई है, इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता। इसलिए, संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की आगे कोई पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता अत्यधिक कम हो गई है। घरेलू उद्योग पहले से ही हानि में है, और घरेलू उद्योग आगे पूंजी निवेश जुटाने की स्थिति में नहीं है।

झ) पाटन मार्जिन का परिमाण

92. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और महत्वपूर्ण है।

ज.4 सामग्री क्षति का जोखिम

ज.4.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामग्री क्षति के जोखिम के संबंध में कोई अनुरोध नहीं दिया है।

ज.4.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

94. घरेलू उद्योग ने सामग्री क्षति के जोखिम के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया हैं:

i. जांच अवधि के बाद भी संबद्ध आयातों में लगातार वृद्धि हुई है:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**	**अप्रैल-दिसंबर 2024 (वार्षिकीकृत)**
मात्रा	एमटी	11,081	36,500	46,350	93,634	139,820
	सूचीबद्ध	100	329	418	845	1262
सीआईएफ मूल्य	रुपये/एमटी	49,397	109,241	81,582	68,150	64,278
	सूचीबद्ध	100	221	165	138	130

ii. आयात जांच अवधि के 93,634 एमटी से बढ़कर जांच अवधि के बाद अप्रैल-दिसंबर 2024 (वार्षिकीकृत) की अवधि में 1,39,820 एमटी हो गया है। आयात में तीव्र वृद्धि नीचे दिए गए ग्राफ़ से स्पष्ट है:

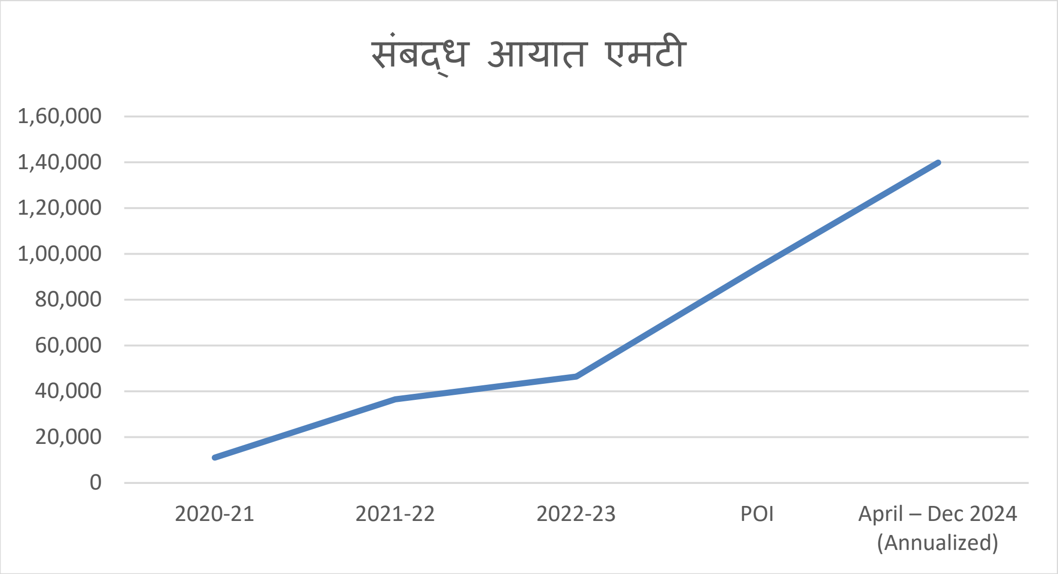

iii. आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच अवधि के बाद की अवधि में आयात में 12 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

iv. चीन जनवादी गणराज्य से औसत आयात कीमत में जांच की अवधि के बाद और गिरावट आई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**	**पोस्ट-पीओआई (वार्षिकीकृत)**
सीआईएफ मूल्य	रुपये/एमटी	49,397	109,241	81,582	68,150	64,278
	सूचीबद्ध	100	221	165	138	130

v. 2021-22 और 2022-23 की तुलना में जांच की अवधि में आयात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात कीमत में और गिरावट आई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में तिमाही-वार गिरावट इस प्रकार है:

विवरण	**यूओएम**	**अप्रैल 2024 से जून 2024 तक**	**जुलाई 2024 से सितंबर 2024**	**अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक**
सीआईएफ कीमत	रुपये/एमटी	66,127	65,114	63,000

vi. आयात कीमत में निरंतर कमी चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों द्वारा अपनाई जा रही आक्रामक मूल्य निर्धारण कार्यनीतियों को उजागर करती है, जिससे घरेलू उद्योग की बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है।

vii. पिछले कुछ वर्षों में चीन जन.गण में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है और इसका प्रमाण क्यूमिक स्टील लिमिटेड की 'चीन का सीआरएनजीओ स्टील: एक उद्योग अवलोकन' शीर्षक वाली रिपोर्ट से मिलता है:

विवरण	**एमटी**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2025/2026 (अनुमानित)**
चीन जन.गण में कुल क्षमता	मिलियन टन	12.6	13.1	13.6	13.6	14.5 /16
	सूचकांक	100	104	108	108	115/127

viii. चीन जन.गण में सीआरएनओ की कुल क्षमता कुल भारतीय मांग का लगभग 20 गुना है।

ix. कई देशों ने चीन जन.गण. से होने वाले निर्यात के विरुद्ध व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू किए हैं। चीन जन.गण. से होने वाले निर्यात के विरुद्ध लगाए गए और वर्तमान में लागू व्यापार उपचारात्मक उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयातक देश	**निर्यातक देश**	**उत्पाद**	**माप का प्रकार**	**शुल्क की दर** (चीन जन.गण)
ब्राज़िल	चीन जन.गण, ताइवान और कोरिया आरपी	गैर-उन्मुख सिलिकॉन स्टील	पाटन-रोधी	90 - 166.32%
संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन जन.गण, स्वीडन, कोरिया आरपी,	गैर-उन्मुख विद्युत स्टील	पाटन-रोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क	158.88% (सीवीडी)

आयातक देश	निर्यातक देश	उत्पाद	माप का प्रकार	शुल्क की दर (चीन जन.गण)
	ताइवान, जापान, जर्मनी			407.52% (ईस्वी)
यूरोपीय संघ	चीन जन.गण	सीआरएनओ	रक्षोपाय	25% कोटा से अधिक
संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन जन.गण	सीआरएनओ	धारा 232	25%
संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन जन.गण	सीआरएनओ	धारा 301	25%

ज.4.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

95. पाटन-रोधी नियमों के अनुलग्नक II के पैरा (vii) में निम्नानुसार प्रावधान है:

(vii) सामग्री क्षति के जोखिम का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा, न कि केवल आरोप, अनुमान या दूरगामी संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न होना चाहिए। सामग्री क्षति के जोखिम के अस्तित्व के संबंध में निर्धारण करते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करेंगें:

(क) भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है;

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से प्रयोज्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित किए गए *निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है, किसी भी अतिरिक्त निर्यात को प्राप्त करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए;*

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहा है जिसका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से ह्रास या न्यूरकरणीकृत प्रभाव पड़ेगा, तथा इससे अधिक आयात की मांग में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) जांच की जा रही मालसूची

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामग्री क्षति के जोखिम के आकलन के लिए, प्राधिकारी भारत में पाटित आयातों की वृद्धि दर, संबद्ध देश में मुक्त रूप से प्रयोज्य क्षमता, संबद्ध देश में क्षमता में वृद्धि, संबद्ध देश से आयात कीमतों की प्रवृत्ति, संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के पास पीयूसी की सूची जैसे कारकों पर विचार करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे घरेलू उद्योग को सामग्री क्षति के जोखिम के आकलन के लिए उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त किसी अन्य कारक की भी जाँच कर सकते हैं।

क) भारत में पाटित किए गए आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर से आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता है।

97. नीचे दी गई तालिका में आयात संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि जांच अवधि में चीन जन.गण. से आयात 9,503 एमटी से बढ़कर 99,211 एमटी हो गया है।

आयात	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
चीन जन.गण	एमटी	9,503	40,246	42,132	99,211
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	424	443	1,044
माँग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	117	138

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जाँच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात में लगातार और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चीन जन.गण. से आयात 2020-21 की तुलना में जाँच अवधि में 10 गुना से अधिक बढ़ गया। घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के बाद की अवधि के लिए जानकारी प्रस्तुत की है। तथापि, प्राधिकारी की जाँच केवल जाँच अवधि तक ही सीमित है।

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से आयात की प्रवृत्ति की मांग की प्रवृत्ति के साथ तुलना से ज्ञात होता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान आयात में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है।

ख) किसी भी अतिरिक्त निर्यात को प्राप्त करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से प्रयोज्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित किए गए निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

100. भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना से ज्ञात होता है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता, चीन जन.गण. में घरेलू मांग से अधिक है।

चीन जन.गण से निर्माता/निर्यातक	**विवरण (सूचकांक बिंदुओं में)**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**पीओआई**
बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	संस्थापित क्षमता	100	100	140	152
	क्षमता उपयोग	100	93	88	87
	भारत को निर्यात बिक्री	100	88	731	393
वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	संस्थापित क्षमता	100	100	100	100
	क्षमता इस्तेमाल	100	94	98	100
	भारत को निर्यात बिक्री	100	40	272	376
बाओस्टील सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड.	भारत को निर्यात बिक्री	100	47	316	735
शौगांग ज़िक्सिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल(क़ियानआ) कंपनी लिमिटेड	संस्थापित क्षमता	100	99	115	121
	क्षमता इस्तेमाल	100	99	93	91
	भारत को निर्यात बिक्री	100	1,830	1,534	1,105
शौगांग होल्डिंग ट्रेड हांगकांग लिमिटेड	भारत को निर्यात बिक्री	100	1430	1,391	1339
शगांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड	भारत को निर्यात बिक्री	-	-	100	150
क्यूमिक स्टील	भारत को निर्यात	-	100	341	385

लिमिटेड	बिक्री				
वेलोंग रिसोर्सेज लिमिटेड	भारत को निर्यात बिक्री	-	-	100	377

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के सहभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच से पता चलता है कि उत्पादकों/निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता है और/या उन्होंने क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को अपनी क्षमता और निर्यात बिक्री में वृद्धि की है।

102. इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर आते हैं कि पर्याप्त मात्रा में मुक्त रूप से प्रयोज्य क्षमता है, अथवा इसमें शीघ्र ही पर्याप्त वृद्धि होने वाली है, तथा चीनी उत्पादक भारतीय बाजारों में पाटित निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत दे रहे हैं।

ग) क्या आयात उन कीमतों पर हो रहा है जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण ह्रास या न्यूनाकरणीकृत प्रभाव पड़ेगा, और क्या इससे आगे आयात की मांग में वृद्धि होगी

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों का पहुँच मूल्य, वर्ष 2021-22 को छोड़कर, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। इससे घरेलू उद्योग पर मूल्य ह्रास/न्यूनाकरणी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है।

ज.5 आकस्मिक कारक और गैर- आरोपण विश्लेषण

ज.5.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

104. घरेलू उद्योग ने आकस्मिक कारक के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया हैं:

क. भारत में होने वाले कुल आयातों में से अधिकांश आयात संबद्ध देशों से होते हैं। संबद्ध देशों से आयातों को छोड़कर, अन्य देशों से आयात या तो कम मात्रा में और/या ऊँची कीमतों पर होते हैं। इसलिए, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं बन सकते।

ख. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के किसी अन्य कारण की पहचान नहीं की है।

ज.5.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आकस्मिक कारक के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ज.5.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

106. पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जाँच करना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में कमी या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। साथ ही, गैर-संबद्ध देशों से जिस मूल्य पर विचाराधीन उत्पाद का आयात किया गया, वह मूल्य संबद्ध देश के मूल्य से काफी अधिक है।

108. चीन जनवादी गणराज्य के अलावा, जापान और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात न्यूनतम स्तर से अधिक है। हालाँकि, जापान और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात मूल्य चीन जनवादी गणराज्य से आयात मूल्य से बहुत अधिक है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
चीन जन.गण	रुपये/एमटी	54,872	1,10,973	93,757	73,768
जापान	रुपये/एमटी	84,814	1,19,951	1,37,372	96,635

कोरिया आरपी	रुपये/एमटी	85,981	1,15,241	1,11,634	1,13,014

ख) मांग में संकुचन

109. क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ग) निर्यात निष्पादन और आबद्ध खपत

110. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू परिचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन से संबंधित है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

111. प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो।

ङ) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्यप्रदर्शन

112. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ केवल पीयूसी से संबंधित सूचना पर ही विचार किया है।

च) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

113. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को हुई सामग्री क्षति का कारण माना जा सके।

छ) खपत की पद्धति में परिवर्तन

114. भारत में पीयूसी के संबंध में खपत की पद्धति में परिवर्तन नही है।

ज.6. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष</u>

115. सूचना का विश्लेषण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति की मौजूदगी और आगे भी महत्वपूर्ण क्षति के खतरे को दर्शाता है। पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध भी स्थापित किया गया है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते है कि:-

i. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में 2020-21 की तुलना में पीओआई में 10 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है। मांग के संबद्ध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के हिस्से में भी 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 757 सूचकांक बिंदुओं तक देश से तक की वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के हिस्से में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से वृद्धि हो कर यह पीओआई में 841 सूचकांक बिंदु हो गया।
ii. पीओआई में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से निम्न है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है।
iii. पीओआई और 2022-23 के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागतों से काफी कम थी। इसने घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण ह्रासकारी प्रभाव का सृजन किया है।
iv. मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग निम्न बना हुआ है।
v. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं में गिरावट आ कर पीओआई में यह 88 सूचकांक बिंदु रह गया।
vi घरेलू उद्योग ने 2022-23 में हानियां उपगत करना आरंभ किया और पीओआई में हानियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जब चीन जन. गण. से आयातों में उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि हुई।
vii. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है और पीओआई में यह ऋणात्मक हो गई है।
viii. घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नकद लाभ, आरओआई और बाजार हिस्से के संदर्भ में वर्षानुवर्ष ऋणात्मक वृद्धि का साक्ष्य किया है।
ix. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षति का सामना किया है।
x. चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता चीन जन. गण. में घरेलू उद्योग की तुलना में अधिक है।
xi. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना दर्शाती है कि उत्पादकों/निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मुक्त रूप से

निस्तारणीय क्षमता और/ अथवा उन्होंने क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को अपनी क्षमता और निर्यात बिक्रियों में वृद्धि की है।

xii. घरेलू उद्योग को और अधिक बढ़ी हुई क्षति का भी खतरा है यदि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है।

xiii. किसी अन्य कारक द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई गई प्रतीत नहीं होती। प्राधिकारी निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा पहुंची है।

xiv. संबद्ध देश क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

116. उपर्युक्त विश्लेषण यह इंगित करता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए पाटित आयातों के कारण और अधिक बढ़ी हुई क्षति के खतरे तथा उल्लेखनीय क्षति का सामना कर रहा है। संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही महत्वपूर्ण क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ज.7. क्षति मार्जिन की मात्रा

117. प्राधिकारी ने यथासंशोधित, अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी को पीओआई के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की विधिवत सत्यापित लागत से संबंधित सूचना / आंकड़ों को अपना कर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत के साथ एनआईपी की तुलना की गई है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि में कच्चे माल और उपयोगिता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत से असाधारण अथवा अनावर्ती व्ययों को शामिल नहीं किया गया है। जैसाकि नियमावली के अनुबंध ॥। में निर्धारित किया गया है, एनआईपी पर पहुंचने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियों सहित औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22%) को अनुमति प्रदान की गई थी।

118. पहुंच कीमत के आधार पर और उपरोक्त अनुसार निर्धारित किए गए एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित क्षति नीचे तालिका में उपलब्ध कराई गई है:-

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक / निर्यातक का नाम	एनआईपी/ मी. टन (यूएस डॉलर)	पहुंच मूल्य/मी. टन (यूएस डॉलर)	क्षति मार्जिन / मी. टन (यूएस डॉलर)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
मेसर्स वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35
मेसर्स बाओस्टील झांजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
मेसर्स बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
भारित औसत बाओस्टील समूह	***	***	***	***	**20-30**
सभी अन्य	***	***	***	***	45-55

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

झ. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

119. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक हित के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. भारत में किसी भी आयातकों / प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किए हैं और/या न ही आर्थिक हित प्रश्नावली दायर करने के द्वारा उन पर पाटनरोधी शुल्क का कोई मात्रात्मक प्रभाव उपलब्ध कराया है। यह स्वयं में दर्शाता है कि पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का उनके व्यापार पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता।

ii. घरेलू उद्योग ने गणना प्रस्तुत की है, जिसमें दर्शाया गया है कि विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव न्यूनतम होगा, जो इस प्रकार है:

विवरण	यूओएम	ट्रांसफार्मर (इन्वर्टर)	पंप (सबमर्सिबल-1 एचपी)	ऑटोमोबाइल (मैग्नेटो -पल्सर 200आरएस)	होम अपलाइसिंस (1टीएसीकंप्रेसर)	होम अपलाइसिंस (बीएलडीसी फैन)
सीआरएनओ की पहुंच कीमत	रू/मी. टन	73,772	73,772	73,772	73,772	73,772
विचारित ग्रेड		**50सी470**	**50सी1000**	**50सी700**	**35सी360**	**50सी1000**
उत्पाद ग्रेड के लिए सीआरएनओ की पहुंच कीमत	रू/मी. टन	***	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क @10%	रू/एमटी	***	***	***	***	***
सीआरएनओ में तैयार उत्पाद में खपत संबंधी मानदंड	एमटी/सं.	***	***	***	***	***
तैयार उत्पाद की बिक्री कीमत	रूपए	***	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के कारण तैयार उत्पाद लागत पर प्रभाव	रूपए/नहीं	***	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क के कारण तैयार उत्पाद कीमत पर प्रभाव	%	***	***	***	***	***

रेंज	%	0-1%	0-1%	0-1%	0-1%	0-1%

झ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

120. सार्वजनिक हित संबंधी मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

i. माल की लागतार उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए शुल्कों के वर्धन के साथ भी उपभोक्ता को आयात करना होगा, जिसके लिए घरेलू उत्पादकों द्वारा अत्यधिक ऊंची कीमत प्रभारित की जाएगी
ii. भारतीय उद्योग में भारत में संबद्ध वस्तुओं के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित पर्याप्त गुणवत्ता की कमी है, जिस कारण आयात अनिवार्य है।
iii. यदि शुल्कों को लागू किया जाता है तो यह डाउनस्टीम उत्पादकों को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा, इस कारण बेहतर उत्पाद गुणवत्ता के साथ संबद्ध वस्तुओं को स्रोत करने में अक्षमता, ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के प्रमुख समय और क्षमता को प्रभावित करेगा।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

121. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध पाटनरोधी जांच पर उनके मतों को आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयातकों / प्रयोक्तओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी। प्राधिकारी ने अन्य के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर विनिमेयता, उपभोक्ताओं की स्रोतों को बदलने की क्षमता, प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव संबंधी जानकारी की मांग की थी।

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में पाटनरोधी शुल्क को लागू करने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुन: स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने का उद्देश्य वैसे भी प्रकार संबद्ध देशों से आयातों को

प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचार जांचों का अभिप्राय व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के विरूद्ध उचित शुल्कों को लागू करने के द्वारा घरेलू उत्पादकों के लिए समान स्तर पर व्यापार को सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को सुरक्षित करना है। इसी समय, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव न केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक सीमित है बल्कि पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है।

123. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम ग्राहकों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव पर कोई मात्रात्मक और / या सत्यापन योग्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। विभिन्न अंतिम उपभोक्तओं पर औसत रूप से प्रभाव 0-1 प्रतिशत के बीच है।

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में पीओआई में महत्वपूर्ण रूप से बड़ी है। संबद्ध देश से आयातों की वृद्धि ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि भारतीय उद्योग देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता धारित करता है और कोई मांग आपूर्ति अंतर नहीं है। संबद्ध वस्तुओं की त्वरित और अल्पावधिक डिलीवरी के लिए भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति के स्रोतों को धारित करना उपभोक्ता उद्योग के हित में है। आपूर्ति के बहुल स्रोतों को बनाए रखने प्रयोक्ता उद्योग के लिए दीर्घावधिक हित में है।

ञ. <u>प्रकटन प्रश्चात टिप्पणियां</u>

ञ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

125. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए हैं:-

i. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पीयूसी के दायरे को सही नोट किया है।

ii. प्राधिकारी ने सही रूप में नोट किया है कि घरेलू उद्योग की अपेक्षित स्थिति है और यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग ठहरता है।

iii. प्राधिकारी का यह अवलोकन कि शाओगांग ग्रुप और शगांग ग्रुप द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर त्रुटिपूर्ण है और उनके लिए पाटनरोधी शुल्क की पृथक दर को

निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, सही तथ्यात्मक और कानूनी विचारा धारा पर आधारित है।

iv. कंपनी ने बाओस्टील इंडिया कंपनी प्रा० लि० द्वारा प्रश्नावली उत्तर को दायर करने में हुए विलंब के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे की जांच नहीं की है । घरेलू उद्योग नोट करते हैं कि संबंधित हस्ती द्वारा प्रश्नावली उत्तर को समय पर दायर करने के अभाव के कारण सभी संबंधित हस्तियों के प्रश्नावली उत्तर को अस्वीकृत किया जाना चाहिए और बाओस्टील ग्रुप के लिए पाटनरोधी शुल्क की कोई पृथक दर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। प्राधिकारी को कम से कम खरीद और बाओस्टील इंडिया कंपनी प्रा० लि० द्वारा पुन: बेचे गए मात्रा के लिए उपलब्ध विपरीत तथ्यों को लागू करना चाहिए।

v. घरेलू उद्योग प्राधिकारी के साथ बाओस्टील इंडिया कंपनी प्रा० लि० के प्रश्नावली उत्तर की स्वीकार्यता के संबंध में नोट की गई आपत्ति के अधीन चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी के साथ सहमत है।

vi चीन जन. गण. से आयातों में वृद्धि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट, चीन जन. गण. से आयातों के कारण कीमत कटौती और कीमत ह्रास, चीन जन. गण. में क्षमता में वृद्धि, चीन जन. गण. में मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता की विद्यमानता के संबंध में प्राधिकारी का अवलोकन स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण क्षति का सामना कर रहा है।

vii. चीन जन. गण. से आयातों और घरेलू उद्योग को खति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्राधिकारी की जांच सही तथ्यात्मक और कानूनी विचार-विमर्शों पर आधारित है। प्राधिकारी ने सही रूप से अवलोकन किया है कि अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

viii. प्राधिकारी ने अवलोकनों के आधार पर एक मात्र संभव निष्कर्ष यह है कि घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण महत्वपूर्ण क्षति का सामना कर रहा है और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध हैं।

ix. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति के खतरे की सही जांच की है और महत्वपूर्ण क्षति के खतरे के संबंध में प्राधिकारी का प्रस्तावित निष्कर्ष सही वास्तविक और कानूनी विचार-विमर्शों पर आधारित है।

x. प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं / डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी के प्रभाव की सही जांच की है।

xi. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण सही तथ्यात्मक और कानूनी विचार-विमर्शों पर आधारित है।

xii. प्राधिकारी को पीयूसी के दायरे, घरेलू उद्योग की स्थिति, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति, आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों, महत्वपूर्ण क्षति के खतरे, आयातकों और अंतिम जांच परिणामों में उपभोक्तीओं पर पाटनरोधी शुल्क का नगण्य प्रभाव के संबंध में प्रस्तावित निष्कर्ष की पुष्टि करनी चाहिए।

xiii. यदि प्रकटन विवरण में प्रकट किए गए अनिवार्य तथ्यों में कोई परिवर्तन है तो इसकी टिप्पणियां उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग को अवसर प्रदान करना चाहिए।

ञ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

126. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रकटन संबंधी अनुरोध किए हैं:-

i. प्राधिकारी ने बाओस्टील द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बाओस्टील ग्रुप के लिए निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का निर्धारण किया है, किंतु निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य को क्रमश: *** प्रतिशत और *** प्रतिशत कम बताया है।

ii. शागांग ग्रुप ने समयबद्ध रूप में सारी जानकारी उपलब्ध कराई है और प्राधिकारी को पूरा सहयोग दिया है। उत्पादक यांगतजी रिवर द्वारा परिशिष्ट 3ख को प्रस्तुत न किया जाना क्षमा योग्य है, क्योंकि यह असहयोग के कारण नहीं है बल्कि यह भारत को निर्यातों के बारे में दृश्यता की और अनुरक्षित रिकार्ड की प्रकृति के कारण है।

iii. शांगांग ने स्वैच्छिक रूप से फीफो पद्धति पर आधारित एक जटित पृथक्करण अभ्यास को अपनाया है और मानवीय रूप से घरेलू बिक्रियों से भारत को अंतिम नियति से बिक्रियों में त्रुटियों को पुन: निर्मित किया है।

iv. सत्यापन के समय पीसीएन अथवा भारत को निर्यातों से संबंधित मात्रा में यदि कोई त्रुटि है तो उसे मानवीय रूप से पृथक्करण प्रक्रिया के स्वरूप के कारण माना जा सकता है।

v. प्राधिकारी द्वारा यांगतजे रिवर के उत्तर की अवहेलना करने का प्रस्ताव पूर्ण रूप से अत्यधिक और असंगत है।

vi झीशिन, शाऊगांग, इंटरनेशनल (बिक्री एजेंट) और शाऊगांग एचके (निर्यातक) को मिला कर बनने वाले निर्यात ढांचे ने पूर्ण और पारदर्शी रूप से जांच के दौरान प्रकटन किया है।

vii. उत्तर को अस्वीकार किया जाना इस आधार पर है कि इस तथ्य को पूरी तरह से अपेक्षित करते हुए शाऊगांग इंटरनेशनल ने परिशिष्ट 2 और 3ख को

प्रस्तुत नहीं किया कि शाऊगांग इंटरनेशनल संबद्ध वस्तुओं के स्वामित्व को अधिग्रहीत नहीं करता न ही यह वाणिज्यिक संदर्भ में यह किसी निर्यातक अथवा व्यापार के रूप में कार्य नहीं करता। यह केवल उत्पादक से प्राप्त अनुदेशों के तहत एक सेल्स एजेंट के रूप में काम करता है और इसकी कमीशन उत्पादक के परिशिष्ट 3ख में उचित रूप से बताई गई है।

viii. प्राधिकारी को इसकी स्थिति पर पुन: विचार करना चाहिए और शाऊगांग झीशिन और इसकी संबंधित हस्तियों द्वारा दायर किए गए उत्तरों को स्वीकार करना चाहिए तथा शुल्क की पृथक दर को प्रदान करना चाहिए।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

127. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह अवलोकन किया गया है कि इन अनुरोधों के अधिक भाग ऐसे तर्कों और आरोपों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इसलिए, इनका अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराग्राफों में अनिवार्य समझे जाने की सीमा तक उल्लेख किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटीकरण पश्चात जांच में ऐसे मुद्दों पर उत्तर को दोहराने से बचाव किया है।

128. इस अनुरोध के संबंध में कि बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली उत्तर दायर करने में देरी हुई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाओस्टील ग्रुप के संपूर्ण डाटा पर बाओस्टील इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रश्नावली उत्तर का सीमित प्रभाव है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबंधित हस्तियों में से एक के द्वारा प्रश्नावली उत्तर को दायर करने में हुआ मामूली विलंब बाओस्टील ग्रुप के प्रश्नावली उत्तर में उपलब्ध कराई गई जानकारी को हानि नहीं पहुंचा सकता।

129. इस अनुरोध के संबंध में कि शागांग ग्रुप ने सारी जानकारी समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराई है और प्राधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया है और उत्पादक चांगत्जे रिवर द्वारा परिशिष्ट 3ख को दायर न किया जाना क्षमा योग्य है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक / निर्यातक द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि व्यापारी की लाभप्रदता के संबंध में जानकारी को भी निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए परिशिष्ट 5 में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्राधिकारी इस जानकारी के बिना उत्पादक के लिए कारखानागत निर्यात कीमत को निर्धारित नहीं कर सकते। अत:, उत्पादक द्वारा परिशिष्ट 3 में तथा व्यापारी द्वारा परिशिष्ट 5 में जानकारी को प्रस्तुत न किए जाने

का अर्थ है कि उत्पादक / निर्यातक ने अनिवार्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध तथ्यों को लागू किए जाने की ।

130. इसके अलावा, शागांग ग्रुप के संबंध में प्रश्नावली उत्तर में बताई गई मात्रा और मूल्य सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराए गए समर्थक दस्तावेजों के मुताबिक और/ अथवा सत्यापनीय नहीं हैं। इसके अलावा, परिशिष्ट 3ख और 4क में रिपोर्ट किए गए पीसीएन त्रुटि पूर्ण हैं और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पीसीएन को नहीं दर्शाते ।

131. इस अनुरोध के संबंध में कि शाऊगांग ने इंटरनेशनल केवल एक सेल्स एजेंट के रूप में काम किया है, उत्पादक के अनुदेश पर दस्तावेज जारी किए हैं और वे माल के स्वामित्व के अधिग्रहीत नहीं करते, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शाऊगांग इंटरनेशलन को 'सेल्स एजेंट' के रूप में नहीं माना जा सकता यदि वह शाऊगांग एचके को वाणिज्यिक इनवॉयस सीमा शुल्क घोषणा पत्र और अन्य निर्यात संबंधित दस्तावेज जारी कर रहा है। यदि प्राधिकारी इस आधार पर शाऊगांग इंटरनेशनल से जानकारी अनुपस्थिति को अनुमति देते हैं कि वह 'सेल्स एजेंट' है तब ऐसे सभी मामलों में जहां भारत को निर्यातों में शामिल व्यापारी यह दावा कर सकते हैं कि वे 'सेल्स एजेंट' के रूप में काम करते हैं और इसलिए, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3ख के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

132. इस अनुरोध के सबंध में कि बाओस्टील ग्रुप की कारखानागत निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य को कम बताया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने असहयोगी व्यापारियों / निर्यातकों के जरिए निर्यातित निर्यात मात्रा के लिए उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद कारखानागत निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य को निर्धारित किया है अर्थात तांगयुआन इंटरनेशनल (एचके) कंपनी लि० और जेएफई ।

ट. <u>निष्कर्ष</u>

133. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों के संबंध में, जैसाकि उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकार्ड किया गया है और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष देते हैं:-

i. विचाराधीन उत्पाद कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) है। इसमें कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स ऑफ सिलीकॉन - इलेक्ट्रिकल स्टील, चाहे वे कॉयल्स में हैं या नहीं, चौड़ाई और मोटाई पर ध्यान दिए बिना, शामिल है। सीआरएनओ को नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीएनओईएस), नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (एनजीओ), नॉन-ओरिएंटेड स्टील (एनओ), कोल्ड-रोल्ड नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरएनजीओ) आदि के रूप में भी ज्ञात है। इन पदों को परस्पर विनिमेयता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के सीआरएनओ, चाहे वे कोटेड हों अथवा नहीं (एनामेल, वार्निश, प्राकृतिक ऑक्साइड सर्फेश, फास्फेट सर्फेश अथवा अन्य सामग्रियों के साथ बोमिकली ट्रीटिड) ।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं नियमावली के संदर्भ में समान वस्तु है।

iii. आवेदक कंपनियां नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर ‘घरेलू उद्योग’ स्थापित होती है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

iv. संबद्ध देश पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

v. 2020-21 की तुलना में पीओआई में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के आयातों में 10 गुणा वृद्धि हुई है। मांग के संबद्ध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के हिस्से में भी 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 757 सूचकांक बिंदुओं तक की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का हिस्से में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 841 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई।

vi पीओआई में संबद्ध वस्तुओं का पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है।

vii. पीओआई और 2022-23 के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से काफी कम थी। इसने घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण कीमत ह्रास प्रभाव निर्मित किया है।

viii. मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग निम्न बना रहा है।

ix. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से गिरावट आ कर यह पीओआई में 88 सूचकांक बिंदु रह गई।

x. घरेलू उद्योग ने 2022-23 में हानियां उपलब्ध करना आरंभ किया और पीओआई में हानियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जब चीन जन. गण. से आयातों में महत्वपूर्ण मात्रा में वृद्धि हुई।

xi. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है और पीओआई में यह ऋणात्मक हो गया है।

xii. घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नकद लाभ, आरओआई और बाजार हिस्से के संदर्भ में वर्षानुवर्ष ऋणात्मक वृद्धि को साक्ष्य किया है।

xiii. चीन जन. गण. से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना किया है।

xiv. चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता चीन जन. गण. में घरेलू मांग की तुलना में उच्च है।

xv. सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना दर्शाती है कि उत्पादकों / निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता है और/या क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात बिक्रियों और अपनी क्षमता में वृद्धि की है।

xvi. घरेलू उद्योग को और अधिक बड़ी हुई क्षति का खतरा भी है। यदि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू नहीं किया गया है।

xvii. कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग क्षति पहुंचाता प्रतीत नहीं होता । प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

xviii. संबद्ध देश से क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

xix. किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम प्रयोक्तओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संभावित प्रभाव पर सत्यापन योग्य और/या कोई मात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।

xx. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई मात्रा संबंधी और सत्यापन योग्य सूचना दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

xxi. सार्वजनिक हित के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर नगण्य प्रभाव होगा। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

134. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह पाते हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पादों का निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है और संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद का ऐसे पाटन ने घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई है।

ठ. <u>सिफारिश</u>

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पयाप्त अवसर दिया गया था।

136. नियमावली के तहत निर्धारित किए गए प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों में शुरूआत करने और जांच आयोजित करने के संबंध में, प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामस्वरूप होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की जरूरत है। इसलिए, प्राधिकारी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए यहां नीचे वर्णित स्वरूप और तरीके में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करना अनिवार्य समझते हैं।

137. नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 7(1)(ख) में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 पर वर्णित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लागू किए जाने के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित धनराशि के समकक्ष निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तु का विवरण	मूल का देश	नियात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7210, 7225 और 7226*	कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील **	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	वुहान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	223.82	एमटी	अमरीकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	बाओस्टील झानजियांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	223.82	एमटी	अमरीकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	बाओशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	223.82	एमटी	अमरीकी डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्रम संख्या 1,2 और 3के अलावा केाई उत्पादक	414.92	एमटी	अमरीकी डॉलर
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा अन्य कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	414.92	एमटी	अमरीकी डॉलर

** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।*

*** कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) में कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील, चाहे वे कॉयल में हों अथवा नहीं, चौड़ाई और मोटाई के निरपेक्ष, शामिल हैं। सीआरएनओ के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड*

सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएफएच) जो सीआरएनओ के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पीयूसी के दायरे से बाहर है।

138. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य निर्धारणीय मूल्य होगा जैसाकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 द्वारा निर्धारित किया गया है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के तहत आने वाले शुल्कों के अलावा, सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

ड. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

139. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी